

25/8/22

अपीलान्त अनुपस्थित, अपीलान्त के वकील
अनुपस्थित, गई मर्तबा आयाज लगाई गई,
अपीलान्त या उनके वकील उपस्थित नहीं
हुए हैं। अतः उक्त प्रथम हाजिरी अदम
में इस स्टेप पर खारिज किया जा रहा है।
पताकर्ता फैसल सुमाए हो। बाद कार्यवाही
शाखिल नफर हो।


जिला कलेक्टर
बरतपुर (राज०)